संख्या–140 / 9–आ–3–2000.93 काम्प / 97

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
नैनीताल झील विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 23 अगस्त, 2000

विषय :सामुदायिक सुविधाओं एवं उनके प्रासंगिक उपयोग के भवनों के पुर्ननिर्माण / जीर्णोद्धार की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2031 / 9–आ–3–99–93 काम्प / 97, दिनांक 31 मई, 1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 31 मई, 1999 में उल्लिखित सामुदायिक सुविधाओं एवं उनके प्रासंगिक उपयोग के भवनों के पुर्ननिर्माण / जीर्णोद्धार अनुमति दिये जाने सम्बन्धी शर्तों पर पुनः सम्यक विचारोपरान्त शर्त संख्या (2) में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

(2) पुराने भवनों में विद्यमान प्लिन्थ एरिया (अवैध निर्माण यदि कोई हो, को छोड़कर अनधिक भू–आच्छादन इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि पुननिर्मित कुल तल क्षेत्रफल पुराने भवन से न्यूनतम 25 प्रतिशत कम होगा।

उक्त शासनादेश दिनांक 31 मई, 1999 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में दी गयी अन्य शर्तें एवं व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या–140(1) / 9–आ–3–2000.तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) जिलाधिकारी, नैनीताल।
(2) सचिव, नैनीताल झील विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
(3) अध्यक्ष, नगर पालिका, नैनीताल।
(4) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।